क्रम संख्या–265

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018

पौष 3, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2574/79-वि-1–18-1(क)-24-18

लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 05 नवम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 7 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी और उसे दिनांक 28 जून, 2017 से निकाला गया समझा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिये निगम, प्राधिकरणों तथा संगठनों की स्थापना का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2007) द्वारा उसमें धारा 7 की उपधारा (3), यह स्पष्ट करने के लिये बढ़ाई गयी है कि निगम को समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकरण न कि राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त कम्पनी या निगम समझा जायेगा और निगम के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं समझा जायेगा तथा उसके पास निगम का कोई प्रबन्धकीय कृत्य नहीं होगा।

उक्त उपबन्ध के कारण उक्त अधिनियम सन् 1975 में उपबन्धित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन करना व्यवहारिक रूप में कठिन हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम सन् 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) को निकालने के लिये उक्त अधिनियम सन् 1975 में संशोधन किया जाये।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

No. 2574(2)/LXXIX-V-1–18-1(Ka)24-18

Dated Lucknow, December 24, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Seewar Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 46 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P. ACT NO. 46 OF 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 5, 2018.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 43 of 1975

2. In Section 7 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted* with effect from June 28, 2017.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 13 of 2018

3-(1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act no. 43 of 1975) has been enacted to provide for the establishment of a Corporation, Authorities and Organisations for the development and regulations of water supply and sewerage services.

By the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 5 of 2007) sub section (3) of section 7 has been inserted to clarify that the Nigam shall for all purposes be deemed to be a local authority and not a company or corporation owned by the State Government and the office of the chairman of the Nigam shall not be deemed to be an office of profit and shall have no managerial function of the Nigam.

Due to the said provision, it has become practically difficult to exercise the powers and perform the duties provided in the said Act of 1975. It has therefore, been decided to amend the said Act of 1975 to omit the sub section (3) of section 7 of the said Act of 1975.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 13 of 2018) was promulgated by the Governor on November 5, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 436 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(1126)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 121 सा0 विधायी–2018–(1127)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।